

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक: समिति/2014/01

दिनांक: 14.07.2014

—: विज्ञप्ति :-

करौली न्याय क्षेत्र में कार/जिप्सी/जीप हल्के वाहन चालन के लिए वाहन चालक (ड्राइवर) के एक अस्थाई रिक्त पद पर राजस्थान सिविल सेवायें(पुनरीक्षित वेतनमान)नियम, 2008 के अन्तर्गत रनिंग पे- बैंड-एस-1- 5200-20200 + ग्रेड पे 2400/-रुपये प्रतिमाह में राजस्थान सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ-11(7)एफ.डी.(नियम)/2008 दिनांक 12.9.2008 के नियम 21 संशोधित नियम 2013 के तहत दो वर्ष तक देय नियत पारिश्रमिक 7900/-रुपये प्रतिमाह पर भर्ती/नियुक्ति हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों एवं निर्धारित नियमों के अनुसार आमंत्रित किये जाते हैं। यह पद अनारक्षित सामान्य संवर्ग का है। उपरोक्त वाहन चालक पद हेतु आवेदन करने वालों के लिए निम्नलिखित आवश्यक योग्यताएं तथा शर्तें लागू होंगी :-

01. राष्ट्रीयता :

आवेदक भारत का नागरिक हो या भर्ती नियमों के अनुसार भारत का नागरिक होने हेतु अर्हता प्राप्त हो।

02. आयु :

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2015 को 18 वर्ष से कम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये। राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, विधवा व तलाकशुदा महिलाओं आदि को नियमानुसार आयु सीमा में छूट देय होगी।

03. शैक्षणिक योग्यता :

वाहन चालक के पद के लिये आवेदन करने वाले आवेदक को किसी राजकीय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालय से न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना आवश्यक है। इसके अलावा आवेदक को देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी पढ़ने व लिखने का व्यवहारिक ज्ञान होना भी आवश्यक है।

04. ड्राइविंग लाईसेन्स:

वाहन चालक के पद के लिये आवेदन करने वाले आवेदक के पास नियमानुसार उपरोक्त वाहन चलाने का वैध तथा प्रभावी ड्राइविंग लाईसेन्स होना आवश्यक है।

इसके अलावा आवेदक को वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है।

05. चरित्र :

(1) -आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। आवेदक को अपने चरित्र के सम्बन्ध में ऐसे दो चरित्र प्रमाण पत्र, जो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के न हो, उसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके रिश्तेदार न हो।

(2)- प्रत्येक आवेदक आवेदन पत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है एवं उसके विरुद्ध किसी प्रकार का कोई दण्डित मामला न्यायालय में लम्बित नहीं है और यदि लम्बित है तो उसका विवरण शपथ पत्र में अंकित करेगा।

06. शारीरिक व चालक की अन्य योग्यताएं :

(अ)- आवेदक को शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का कोई शारीरिक व मानसिक दोष नहीं होना चाहिए, जो उसके इस पद के रूप में अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधक हो और यदि आवेदक का इस पद के लिए चयन कर लिया जावे तो उसे सरकार द्वारा तत्प्रयोजनार्थ अधिसूचित चिकित्सा- प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ब)- आवेदक का वजन 65 किलोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिये।

(स)- आवेदक की दृष्टि चश्मा या बिना चश्मा के 6 बाई 6 होना चाहिये।

(द)- आवेदक को मार्ग में वाहन की मरम्मत की जानकारी, वाहन चालन में दक्षता होनी चाहिये तथा वाहन का साधारण तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है।

07. संतान सम्बन्धी सूचना :

शासन सचिव राजस्थान सरकार, जयपुर के परिपत्र क्रमांक:10(3)/कार्मिक/ क-2/75/पार्ट-II दिनांक 29.10.2004 व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पृष्ठांकन संख्या जनरल/19/मि. /1245/2004/1816 दिनांक 30.11.04 के अनुसार ऐसा कोई भी आवेदक जिसके दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हों, वो आवेदक राज्य सेवा में इस पद की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। विवाहित आवेदक को दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नहीं होने का संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

08. विवाह पंजीयन :

राज्य सरकार के परिपत्र संख्या: प.7(3) कार्मिक/क-2/2006 दिनांक 30.06.2006 के अनुसार आवेदक के विवाहित होने की दशा में आवेदन पत्र में पति/पत्नी के नाम का उल्लेख करना होगा व आवेदन पत्र में विवाह पंजीयन की सूचना अनिवार्यतः दी जावेगी। आवेदक का विवाह पंजीयन नहीं होने की स्थिति में उसे आवेदन पत्र के संलग्न प्रारूप-6 में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

09. पेंशन योजना :

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: एफ.15(7) एफ.डी.(रुल्स)97 / दिनांक 14.01.2004 तथा राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या: एफ-12 दिनांक 13.3.2006 एवं दिनांक 12.9.2008 के अन्तर्गत इस पद पर नियुक्ति योग्य पाये जाने वाले आवेदक पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना, मेडिकल अटैन्डेन्ट रुल्स तथा राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि एवं स्थाई पारितोषण सभी नये नियम लागू होंगे ।

10. आवेदन पत्र:

आवेदक को इस विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप के अनुसार आवेदन पत्र सादा कागज पर सुस्पष्ट लेखन में लिखा हुआ अथवा टंकित किया हुआ प्रस्तुत करना होगा। इस आवेदन पत्र के साथ विज्ञप्ति के पैरा संख्या-15 में बताये अनुसार वांछित प्रमाण पत्रों की सत्य प्रतिलिपियां व शपथ पत्र आदि संलग्न करने होंगे। आवेदन पत्र पर आवेदक को अपना पासपोर्ट साईज का फोटो लगाकर स्वयं के हस्ताक्षर मय दिनांक करने के पश्चात राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

11. आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि :

आवेदन पत्र दिनांक **07.08.2014** को सांय 5.00 बजे तक **"कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली."** में आवश्यक रूप से पहुंच जाना चाहिये। राजकीय सेवा में सेवारत कर्मचारी अपने विभाग के माध्यम से आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। इस विज्ञप्ति से पूर्व में प्राप्त एवं इस विज्ञप्ति की अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा। इसी प्रकार अपूर्ण आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा और उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा।

12. साक्षात्कार एवं ट्रेड टेस्ट :

आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम तिथि तक प्राप्त जिन आवेदकों के आवेदन पत्र बाद जांच सही पाये जावेंगे उनके ट्रेड टेस्ट एवं साक्षात्कार हेतु सूची दिनांक **18.08.2014** को सांय **" जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली."** के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी। ट्रेड टेस्ट दिनांक **31.08.2014** को प्रातः **08.00 बजे** से लिया जावेगा एवं ट्रेड टेस्ट लिये जाने के स्थान के संबंध में सूचना उक्त दिनांक **18.08.2014** को ही सूची के साथ लगा दी जावेगी जिसके संबंध में सूचना इस कार्यालय की बेवसाईट **www.ecourts.gov.in/karauli** पर नियत समय पर अपलोड कर दी जावेगी तथा इस संबंध में सूचना पृथक से किसी भी आवेदक को प्रेषित नहीं की जावेगी। आवेदक जिन प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें, उन सभी मूल प्रमाण पत्रों को साक्षात्कार के समय साथ लेकर आवे।

ट्रेड टेस्ट में सफल आवेदकों का साक्षात्कार उसी दिनांक **31.08.2014** को ट्रेड टेस्ट होने के पश्चात लिया जावेगा।

13. अंतिम परिणाम :-

ट्रेड टेस्ट एवं साक्षात्कार होने की दिनांक से 07 दिवस में अंतिम परिणाम घोषित किया जावेगा जिसके संबंध में सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जावेगी तथा उक्त संबंध में सूचना इस कार्यालय की बेवसाईट **www.ecourts.gov.in/karauli** पर अपलोड कर दी जावेगी।

14. अन्य:-

- जो अभ्यर्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को उत्तीर्ण घोषित करवाने की कोशिश करेगा, उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।
- अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट एवं साक्षात्कार में भाग लेने के लिए इस कार्यालय द्वारा यात्रा भत्ता या किसी प्रकार की राशि नहीं दी जायेगी।
- एक से अधिक जीवित पत्नियों वाले पुरुष अभ्यर्थी तथा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे विवाहित पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहली पत्नी जीवित हो और उस पहली जीवित पत्नी का विधिवत् तलाक न हुआ हो, इस परीक्षा में बैठने के लिए एवं आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस संबंध में घोषणा पत्र आवश्यक रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
- विवाहित आवेदक जिसने शादी के समय किसी भी प्रकार का दहेज लिया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसा आवेदक चाहे स्त्री हो या पुरुष विवाहित आवेदक दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- ऐसे आवेदक जिन्हें किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, लोक सेवा आयोग द्वारा आगामी परीक्षाओं के लिए अथवा नियोजन अधिकारी द्वारा अयोग्य (Debar) घोषित किया गया हो अथवा किसी विभाग द्वारा नियोजन के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो, वह इस परीक्षा में बैठने के लिए व आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होंगे। उक्त प्रकार अयोग्य (Debar) घोषित नहीं होने के संबंध में घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- इस पद हेतु ट्रेड टेस्ट एवं साक्षात्कार की तिथियों में परिवर्तन किये जाने पर उसकी सूचना जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली के नोटिस बोर्ड पर लगा दी जायेगी तथा इस संबंध में सूचना इस कार्यालय की बेवसाईट **www.ecourts.gov.in/karauli** पर अपलोड कर दी जावेगी, किसी भी अभ्यर्थी को अलग से इसकी सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी।
- इस परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से निरस्त करने अथवा उसके निर्धारित कार्यक्रम में परिवर्तन करने व किसी भी प्रकार की अस्पष्टता आदि के बाबत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय/जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली को पूर्ण अधिकार रहेगा।

8. जो अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदक को सामान्य संवर्ग का माना जावेगा।

15. आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य है:-

- I. जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- II. आयु सीमा में छूट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- III. शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां।
- IV. आवेदक के ड्राईविंग लाईसेन्स की सत्यापित प्रति।
- V. वाहन चालन का अनुभव प्रमाण-पत्र
- VI. दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नहीं हों।
- VII. आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगावें, जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
- VIII. आरक्षण हेतु जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- IX. जिन आवेदकों का विवाह दिनांक 22.05. 2006 को या इसके बाद हुआ है, उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। यदि आवेदक अविवाहित है या उसका विवाह दिनांक 22.05.2006 से पूर्व हुआ है तो उसे इस आशय का शपथ पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर, राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी पब्लिक से सत्यापित करवाकर संलग्न करना होगा।
- X. इस विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या 7 के अनुसार संतान संबंधी शपथ-पत्र 10/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर संलग्न करें।
- XI. इस विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 14 (3, 4, 5) के अनुसार घोषणा पत्र, जो राजपत्रित अधिकारी /नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित किया हुआ हो।
- XII. ऐसे आवेदक जो किसी भी प्रकार की छूट का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे संबंधित प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपि संलग्न करें।
- XIII. आवेदक का जिला नियोजन कार्यालय में पंजीयन होने के प्रमाण-पत्र की सत्य प्रतिलिपि यदि कोई हो।

उपरोक्त दस्तावेजात/प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकेंगे।

उपरोक्त सभी प्रलेख एवं प्रमाण-पत्र आदि की सूची आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के पीछे क्रमवार लिखनी होगी व इसके नीचे अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

Sd/-

अध्यक्ष

वाहन चालक भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
करौली (राज.)

दिनांक: 14.07.2014

क्रमांक: समिति./2014/ 03-55

प्रतिलिपि:-

01. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर
02. रजिस्ट्रार (प्रशासन) राजस्थान उच्च न्यायालय, पीठ जयपुर
03. जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
04. समस्त अधीनस्थ न्यायालय, करौली न्यायक्षेत्र
05. जिला कलक्टर, करौली/जिला पुलिस अधीक्षक, करौली
06. जिला नियोजन अधिकारी, करौली
07. जिला जनसंपर्क अधिकारी, करौली
08. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, करौली
09. संबंधित पत्रावली.



अध्यक्ष

वाहन चालक भर्ती समिति,
जिला एवं सेशन न्यायालय,
करौली (राज.)

वाहन चालक के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र प्रारूप

{ विज्ञप्ति क्रमांक :

आवेदक का
नवीनतम
फोटो मय हस्ताक्षर
जो
राजपत्रित अधिकारी
से प्रमाणित हो

- (1) नाम आवेदक :
- (2) पिता/पति का नाम :
- (3) जाति :
- (4) आरक्षित वर्ग का नाम :
- (यदि लागू हो)
- (5) स्थायी पता :
-
-
- (6) वर्तमान पता :
-
-
- (7) निकटतम पुलिस स्टेशन :
- (8) जन्म तिथि (अंको में) :
- (शब्दों में) :
- (9) दिनांक 01.01.15 को आयु : वर्ष माहदिन
- (10) शैक्षणिक योग्यता :
- (11) वर्तमान नियुक्ति,यदि कोई हो, :
- पद,सेवा की अवधि एवं पदनाम
- (12) अग्रप्रेषण अधिकारी का नाम,पदनाम :
- यदि अभ्यर्थी पूर्व में सेवारत है
- (13) राष्ट्रियता :
- (14) नियोजन कार्यालय का पंजीयन :
- क्रमांक व इसकी वैधता तिथि
- {यदि कोई हो}
- (15) ड्राइविंग लाईसेन्स संख्या :
- तथा इसकी वैधता तिथि
- (16) वाहन चालन का अनुभव :

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक

—: नमूना प्रपत्र :-

दोष सिद्धि नहीं होने के बारे में शपथ पत्र
दस रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर

मैं,पुत्रउम्र वर्ष

जाति निवासी तहसीलजिला

शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ कि मुझे किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाकर दण्डित नहीं किया गया है तथा मेरे खिलाफ कोई दण्डिक मामला संस्थित अथवा न्यायालय में लम्बित नहीं है ।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता
()

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे ।

स्थान :

दिनांक :

शपथ ग्रहिता
()

—: नमूना प्रपत्र :-

प्रपत्र – 6

—: शपथ पत्र :-

{ दस रुपये के नॉन – ज्युडिशियल स्टाम्प पर }

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री/श्रीमती.....

उम्र.....जाति..... निवासी..... तहसील.....

जिला..... शपथ पूर्वक कथन करता हूँ/करती हूँ कि :-

मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी..... के साथ सम्पन्न हुआ था, परन्तु उक्त विवाह अनिवार्य विवाह पंजीकरण लागू होने से पूर्व दिनांक.....को सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं है ।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री..... निवासी..... के साथ दिनांक..... को राजस्थान के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है ।

या

मैं अविवाहित हूँ ।

या

मैं विधुर/तलाकशुदा/विधवा हूँ (पत्नी/पति) श्री/श्रीमती..... थी/था एवं जिसका देहांत दिनांक को हो गया ।

स्थान :

दिनांक : (शपथ ग्रहिता)

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे ।

स्थान : शपथ ग्रहिता

दिनांक : ()

-: नमूना प्रपत्र :-

संतान के सम्बन्ध में घोषणा का शपथ पत्र
दस रूपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर

मैं,पुत्र/पुत्री/पत्नीउम्रवर्ष
जातिनिवासी तहसीलजिला
शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे दिनांक 01.6.2002 को या
इसके पश्चात् तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई है ।

या

मैं,पुत्र/पुत्री/पत्नीउम्रवर्ष
जातिनिवासीतहसीलजिला.....
शपथपूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं अभी अविवाहित हूँ ।

स्थान :

दिनांक : शपथ ग्रहिता
()

सत्यापन

मैं, उपरोक्त शपथ ग्रहिता सशपथ सत्यापित करता हूँ कि
उपरोक्त शपथ पत्र के तथ्य मेरी निजी ज्ञान तथा जानकारी के अनुसार
सही तथा सत्य है। ईश्वर मेरी मदद करे ।

स्थान : शपथ ग्रहिता

दिनांक : ()